राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 50 /2019 दिनांक 26 .04.2019

श्रीमती आभा गहलोत (RJ0937), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण)क्रम-04, जोधपुर महानगर को दिनांक 01.05.2019 से 24.05.2019 तक **24** दिनों का **संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave)** दिनांक 25.05.2019 से 26.05.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

डॉ. मनोज सिंघारिया (RJ1116), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-05, जोधपुर महानगर को श्रीमती आभा गहलोत के उक्त **अवकाश** अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण)क्रम-04, जोधपुर महानगर के पद का **अतिरिक्त कार्यभार** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा **पदस्थापित / नियुक्त** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) ऐसे प्रकरणों, *जिनमें* अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।

(2) डॉ. मनोज सिंघारिया (RJ1116), *जिनको* विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-04, जोधपुर महानगर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से

26.4.19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/106/2015/3940 दिनांक 26 .04.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 5151 दिनांक 09.04.2019 के सन्दर्भ में ।
3. **श्रीमती आभा गहलोत (RJ0937),** विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-04, जोधपुर महानगर ।
4. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-04, जोधपुर महानगर ।
5. **डॉ. मनोज सिंघारिया (RJ1116),** विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-05, जोधपुर महानगर ।
6. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-05, जोधपुर महानगर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

26.4.2019

सहायक रजिस्ट्रार